न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 208/2023

तारीख रजू:– 30.10.2023

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. अतरसिंह 2. गोपाल 3. रमेश	पिसरान	जाति जाटव निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली, राजस्थान ———— सायलान

बनाम

1. धर्मेन्द्र 2. हरिओम 3. गोविन्द	पिसरान रामनिवास	जाति जाटव निवासी धंधावली
4. सुमेर 5. उदय	पिसरान विसराम	तहसील सूरौठ जिला करौली
6. मु० सावल बेबा विसराम		
7. हेतराम 8. मुकेश 9. मुन्शी	पिसरान हीरालाल	राजस्थान
10. रम्भूली पत्नि हीरालाल		

11. अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल हिण्डौनसिटी जिला करौली।
12. सहायक अभियंता जेवीवीएनएल (ए–2) हिण्डौनसिटी जिला करौली, (राज०)
13. कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल हिण्डौनसिटी जिला करौली
14. तहसीलदारजी तहसील सूरौठ जिला करौली, राजस्थान ————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निर्णय

दिनांक :—15.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद 01 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत तकास्मा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा मजबूत आधारों के साथ पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी—पूरी संभावना है।

प्रार्थना पत्र के मद 02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 345 रकवा 1.25 है0 स्थित ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में सायलान 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद 03 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं0 2 प्रार्थना पत्र को मौके पर सायलान एवं गैरसायलान ने बाहामी बटवारा किया हुआ है एवं सायलान एवं गैरसायलान ने अपने—अपने हिस्से को अलग अलग डोल मेंढ से महदूद किया हुआ है लेकिन सायलान एवं गैरसायलान के मध्य डौल—मेंढ को लेकर आये दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है, तथा खसरा नम्बर 345 रास्ते के सहारे स्थित है जिसमें गैरसायलान बिना विधिवत बटवारा कराये बिजली विभाग के कर्मचारियों को उक्त भूमि को रहन कर ग्रिड स्टेशन की स्थापना करवाना चाहते है, इसलिये आराजीयात का बटवारा कराना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद 04 में दर्ज किया है कि बांका दिनांक 14.10.2023 को सायलान अपने हिस्से की आराजीयात की सार संभाल कर रहे थे कि गैरसायलान मौके पर आये एवं सायलान से कहा कि तुम्हारे पास हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा है इसलिये तुम इस भूमि को अब काश्त मत करना क्योंकि हम अपने खेतो का बेचान कर रहे है साथ ही तुम्हारे पास जो अधिक भूमि है उसका भी बेचान करेंगें जिस पर सायलान ने गैरसायलान को समझाने का प्रयास किया कि भाईयों यदि हमारे पास अधिक भूमि है तो आराजीयात का विधिवत बटवारा करा लेते है जिस पर गैरसायलान नाराज हो गये एवं सायलान को स्पष्ट धमकी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दी कि अब हम तुम्हारे हिस्से सहित उक्त आराजी का दीगर लठैत व्यक्तियों को बेचान करेंगें और वे लोग तुमसे डण्डे के बल पर कब्जा भी छीन लेंगें सायलान ने गैरसायलान से आराजीयात का विधिवत बटवारा कराने की हाथ जोडकर प्रार्थना की तो गैरसायलान उक्त आराजीयात का विधिवत बटवारा कराने से साफ इंकार हो गये। इस प्रकार सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है, एवं सायलान ने गैरसायल संख्या 11 ता 13 से भी उक्त आराजीयात में बिना विधिवत बटवारा कराये, उक्त विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 345 की भूमि में ग्रिड स्टेशन की स्थापना न करने बाबत निवेदन किया। इस प्रकार गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य से किया जाना संभव नही हो सकेगा। इसलिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद 05 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केश, अपूर्तणीय क्षति का बिन्दू व सुविधा का संतूलन बखूबी सायलान के पक्ष में साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 345 रकवा 1.25 है0 स्थित ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में सायलान की भूमि में कोई निर्माण कार्य नही करें। सायलान की इजाजत के विना सायलान की भूमि में कोई ग्रिड स्टेशन की स्थापना नहीं करें। सायलान के कब्जेकाश्त में कोई व्यवधान नहीं डालें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावे जिससे सायलान के हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ें। कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित नही करें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 02.01.2025 को गैरसायल सं0 11, 12,13 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया,जो शामिल पत्रावली है।दिनांक 28.07.2025 को गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के आदेश दिये गये। गैरसायल सं0 11, 12,13 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नम्बर 01 में दर्ज सायलान द्वारा गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय में पेश करना सही है, लेकिन झूठे एवं गलत आधारों पर होने के कारण सायलान को उसमें सफलता मिलने की लेशमात्र भी उम्मीद नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 02 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 03 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। गैरसायलान का मद में अंकित तथ्यों से कोई सम्बंध नहीं है, मद में अंकित तथ्य सायलान को साबित करने हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 04 में अंकित तथ्य झूठे, मनगढन्त व कपोलकल्पित हैं। खसरा नम्बर 345 की भूमि में ग्रिड स्टेशन का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि खसरा नम्बर 345/1614 की भूमि जे०वी०वी०एन०एल० को आवंटित होने पर नियमानुसार निर्माण किया जा रहा है, प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 05 अस्वीकार है। प्रथम दृष्ट्या केस, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में साबित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में साबित है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की हैं।

इसके विपरीत गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति श्रीमान् जिला कलक्टर करौली का आदेश क्रमांक एफ.12(3)(3)(1B)/भू.आ./राजस्व/2023/4602–16 दिनांक 14.03.2023, पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ की खातेदारी अतरसिंह पुत्र घीस्या हि0 1/7, गोपाल पुत्र घीस्या हि0 2/7, रमेश पुत्र घीस्या हि0 1/7, रामनिवास पुत्र घीस्या हि0 1/7, विसराम पुत्र घीस्या हि0 1/7, हीरालाल पुत्र घीस्या हि0 1/7, जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति श्रीमान् जिला कलक्टर करौली का आदेश क्रमांक एफ.12(3)(3)(1B)/भू.आ./राजस्व/2023/4602–16 दिनांक 14.03.2023 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 345/1614 रकबा 1.10 है0 किस्म नहरी 2 (चारागाह) भूमि वाके ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन में से रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन सहायक अभियन्ता जे.वी.वी.एन.एल. सूरौठ के कार्यालय भवन निर्माण हेतु 99 वर्ष की लीज पर दी गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में सायलान हिस्सा 4/7 के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा गैरसायल सं0 1 ता 3 के पिता रामनिवास हि0 1/7, गैरसायल सं0 4,5 के पिता विसराम व गैरसायल सं06 के पति हि0 1/7, गैरसायल सं0 7,8,9 के पिता व 10 के पति हीरालाल हि0 1/7 के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा गैरसायल सं0 10,11,12 राज्य सरकार विधुत विभाग के प्रतिनिधि हैं तथा श्रीमान् जिला कलक्टर करौली का आदेश क्रमांक एफ.12(3)(3)(1B)/ भू.आ./राजस्व/2023/4602–16 दिनांक 14.03.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

2023 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 345/1614 रकबा 1.10 है0 किस्म नहरी 2 (चारागाह) भूमि वाके ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन में से रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन सहायक अभियन्ता जे.वी.वी.एन.एल. सूरौठ के कार्यालय भवन निर्माण हेतु 99 वर्ष की लीज पर दी गई है। इस प्रकार खसरा नम्बर 345 के समीप खसरा नम्बर 345/1614 की भूमि है। मुताविक जबाव प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 345/1614में से आवंटित रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ पर विधुत विभाग के द्वारा ग्रिड स्टेशन का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार सायलान एवं गैरसायल सं01 ता 10 उक्त विवादित आराजीयात खसरा नं0 345 के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। रिकोर्डेड सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से विभाजन होकर उनका पृथक पृथक खाता एवं लगान कायम नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सायलान का प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं है और ना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दि0 30.10.2023 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/1/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)